कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / प्रशा / स्था / ए–2 / 1522 / 2017 भोपाल, दिनांक 20 / 7 / 2017

संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल में वाहन चालक के रिक्त पद के विरूद्ध संविदा नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।
2. रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है :–

.क्र.	पदनाम व वेतनमान	रिक्त पद				न्यूनतम योग्यताएं
		अनारक्षित	अनु.जाति	अनु. जन. जाति	पिछडा वर्ग	
1.	संविदा वाहन चालक 5200–20200+1900	03	01	01	–	1. आठवी कक्षा उत्तीर्ण 2. ड्रायविंग लायसेस 3. 5 वर्ष का कार्यानुभव (कण्डिका 6 के अनुसार)

नोट :– **रिक्त पदों की संख्या शासन द्वारा प्रकाशित रोस्टर के अनुसार है।**

3. पदावधि – संविदा कर्मचारी की संविदा की कालावधि अधिकतम 01 वर्ष होगी मण्डल की आवश्यकतानुसार कालावधि में वृद्धि कर सकेगा।
4. आयु सीमा – संविदा नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्गो, विभागों / निगमों / मण्डलों / आयोगों / स्वायत्तशासी / निकायों / होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिये आयु सीमा 45 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे। आयु सीमा की गणना भरती के चालू वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति में की जाएगी।
5. अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ समस्त उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंकसूची, ड्रायविंग लायसेंस (लाईट मोटर व्हीकल), कार्यानुभव प्रमाण–पत्र, जाति–प्रमाण, म.प्र. मूल निवासी प्रमाण–पत्र, जन्म तिथि संबंधी अभिलेख आदि की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. न्यूनतम 05 वर्ष के वाहन चालक के कार्यानुभव का प्रमाण–पत्र मध्यप्रदेश शासन के कार्यालयों / निगम / मण्डल / आयोग / सार्वजनिक उपक्रमों में संविदा / स्थाई / अस्थाई / दैनिक वेतन भोगी / कलेक्टर दर / मस्टर रोल के रुप में वाहन चालक के कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य होगा। अशासकीय / निजी एवं व्यक्तिगत कार्यानुभव के प्रमाण–पत्र मान्य नहीं किये जावेंगे।
7. अतिम तिथि – आवेदन पत्र माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल के कार्यालय में दिनांक 05.08. 2017 सायं 5.30 बजे तक जमा होना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् डाक से प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
8. अपूर्ण दस्तावेज एवं अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र निरस्त किया जावेगा।
9. संविदा नियुक्ति संबंधी विस्तृत नियम एवं निर्देश माध्यमिक शिक्षा मण्डल मुख्यालय भोपाल की स्थापना "अ" शाखा से कार्यालयीन समय में देखे जा सकते है।
10. आवेदन पत्रों की स्क्रूटिनी उपरांत पात्र आवेदकों को ड्राइविंग टेस्ट / साक्षात्कार के लिये पृथक से अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार के पते पर सूचना दी जावेगी।
11. चयनित अभ्यर्थी को मण्डल के द्वारा संचालित संभागीय कार्यालयों में भी पदांकन किया जा सकता है।
12. माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल संविदा सेवा (नियुक्ति तथा सेवा की शर्ते) विनियम, 2006 का पालन करना अनिवार्य होगा।
13. भर्ती प्रक्रिया बिना कारण दर्शाये निरस्त, समाप्त करने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी को होगा तथा किसी भी अपील पर विचार नहीं होगा।
14. आवेदन पत्र माध्यमिक शिक्षा मण्डल की वेबसाईट http:\\www.mpbse.nic.in से डाउन लोड कर प्राप्त कर सकते है।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
भोपाल, मध्यप्रदेश